UPSI120021902023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बिसवाँ सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी-(सुभाष)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP03785

CIS NO-1625/ 2023

बृजभूषण पाण्डेय बनाम रवीन्द्रनाथ मिश्र।

दिनाँक 25.04.2024

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली आज तलबी आदेश हेतु नियत है। वादी बृजभूषण पाण्डेय पुत्र स्व० गया प्रासद पाण्डेय, निवासी मोहल्ला झज्झर, कस्बा व थाना कोतवाली बिसवाँ, जिला सीतापुर के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष कथन किया गया है कि- विपक्षी ने अपनी पत्नी तारावती से सुशीला देवी जो प्रार्थी की सगी बुआ है पर नाजायज असत्य आधारों पर श्रीमान् जी के न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू०डि०) महोदय बिसवाँ, जिला सीतापुर में दीवानी वाद चलाया और प्रतिवादिनी श्रीमती सुशीला देवी से नाजायज धन प्राप्ति हेतु ब्लैकमेल करके अपना वाद वापस ले लिया जिसका उनवान तारावती बनाम सुशीला आदि, दायरा 345/ 2022 फैसला 22.05.2023 है। बेईमानीपूर्ण नीयत से फर्जी डॉक्यूमेंट अपने सगे भाई मुनेन्द्रनाथ की आवासीय भूमि हड़पने हेतु विपक्षी ने तैयार किया था। दोनों भाइयों में विवाद होने पर अन्तर्गत धारा 420/ 467/ 438/ 471 आई०पी०सी० विपक्षी तथा उसके पुत्रों पर सरकारी मुकदमा फौजदारी कायम हुआ जो विचाराधीन है। विपक्षी पर उसके पौत्र की पत्नी के सम्बन्ध में दहेज हत्या का मुकदमा भी विचाराधीन है जो उसकी बेईमानी एवं ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति की परिणति है। उपर्युक्त दीवानी वाद में विपक्षी को भ्रम इस आशय का था कि प्रार्थी उपरोक्त दीवानी वाद में प्रतिवादी नं० 1 सुशीला देवी की पैरवी करता है अतएव विद्वेषपूर्ण भावना से नाजायज दबाव बनाने एवं नाजायज जबरदस्ती वसूली कर पाने हेतु विपक्षी ने इसी मध्य प्रार्थी को दुर्भावनापूर्ण एवं बेईमानीपूर्ण आशय से जालसाजी भरे तथ्यों के आधार पर दिनाँक 25.04.2023 को जरिये अधिवक्ता श्री राधेलाल वर्मा एडवोकेट के माध्यम से मिथ्या आरोप लगाकार दबाव में लेने हेतु मानहानि कारक आरोप लगाये जिसका 23.05.2023 को जवाब अधिवक्ता श्री मन्नालाल बाजपेयी के माध्यम से देने पर उसकी ओर से नाजायज धन वसूली एवं अपमानकारक लेख अंकित करके पुनः दिनाँक 31.05.2023 को प्रति जवाब प्रेषित किया। विपक्षी ने उपर्युक्त नोटिस एवं प्रति नोटिस के माध्यम से प्रार्थी के मृतक पिता पर 3,660/- रुपया मय ब्याज कथित कर्ज होने का मिथ्या आरोप लगाकार प्रार्थी को अपमानित करते हुए नाजायज धन वसूली की धमकी देने से प्रार्थी तथा उसके परिवार के लोग आहत हैं। विपक्षी के इस आरोप से प्रार्थी के पिता और तद्नुसार प्रार्थी व परिवार के लोग विपक्षी के कथित रूप से कर्जदार हैं से अपमानित हो रहे हैं और अपमान को हत्या के समान महसूस करते हैं। प्रार्थी आदि को अपनी गरिमा को बनाये रखने तथा बदनामी से बचाव करने का अधिकार है और विपक्षी निरन्तर मिथ्या कर्जदार होने का आरोप लगा रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु अंकन 5,00,000/- विपक्षी से प्राप्त कर पाने का प्रार्थी अधिकारी है। उपरोक्त दोनों लिखित अपमानकारक लेख सहित नोटिस एवं प्रति नोटिस जरिये डाक प्रार्थी को प्राप्त हुई जिसे प्रार्थी के परिवार वालों ने पढ़ा एवं पड़ोसी लोगों ने पढ़ा तथा सुना, ऐसी स्थित में अपने निकटतम सम्बन्धियों, पड़ोसियों, रिस्तेदारों एवं जाति बिरादरी एवं मोहल्ले वालों एवं समाज की नजरों में प्रार्थी व उसके

स्वर्गीय पिता तथा उसके परिवार वालों की प्रतिष्ठा में लगातार गिरावट आ रही है साथ ही साथ विपक्षी ने जब दिनाँक 09.07.2023 को करीब दिन के 11.00 बजे प्रार्थी के गर पर वह सारी असत्य बातें जो उसने नोटिस एवं प्रति नोटिस में लिखी थी मौखिक रूप से धमकी भरे शब्दों में चिल्ला कर कहना शुरु कर दिया और तमाम लोगों के एकत्र हो जाने पर भी वह धन वसूली की धमकी तथा अपमान कारक दुष्कृत्य करता रहा। प्रार्थी ने उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक द्वारा दिनाँक 14जुलाई, 2023 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर को दिया है परन्तु संज्ञान नहीं लिया गया है, इसलिए परिवाद की आवश्यकता हुई। अतः विपक्षी के विरुद्ध उचित एवं आवश्यक धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा कायम करने हेतु न्यायहित में आदेश करने की याचना की गयी है।

2- प्रस्तुत वाद को दिनाँक 26.07.2023 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है।

3- परिवादी ने न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० शपथ पूर्वक कथन किया है कि मेरी बुआ सुशीला देवी हैं, जिनको न्यूरों की समस्या है। उठने बैठने में असमर्थ हैं। उनके बच्चे व पति नहीं हैं। रवीन्द्रनाथ मिश्रा ने अपनी पत्नी तारावती के नाम से मुकदमा किया था। मैनें उनके लिए अधिवक्ता नियुक्त कराया था। रवीन्द्रनाथ मिश्रा ने मुझे सुशीला देवी के घर जाते समय यह कहा कि तुम मुकदमें पैरवी करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद रवीन्द्रनाथ मिश्रा ने बुआ जी से पैसे लेकर मुकदमा वापस ले लिया। दिनाँक 25.04.2023 को अधिवक्ता श्री राधेलाल वर्मा द्वारा मुझे रजिस्टर्ड नोटिस भेजी कि हमारे पिता जी ने कर्जा रुपये 3,660/- रुपये मय ब्याज अदा नहीं किया है। कर्जा अदा न करने पर वह मुझ पर वाद करेंगे। कर्जा अदा न करने कारण नोटिस में बेटियों की शादी करना लिखा गया था। दिनाँक 23.05.2023 को मैंने नोटिस का जवाब दिया था। 09.07.2023 को रविन्द्रनाथ मिश्रा मेरे घर आये थे। मेरे गेट पर आये और चिल्लाने लगे। रविन्द्रनाथ मिश्रा गेट पर चिल्ला रहे थे कि "गया प्रसाद पाण्डेय ने 1994 में मेरे गन्ने का पैसा था जो नहीं दिया। अब उनके बेटे को नोटिस भेज रहा हूँ, तब भी नहीं दे रहा है, अब मुकदमा चलाऊँगा, उनके दोनों हाथ तुड़वाउँगा।" घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। घटना दिन के 11.00 बजे की है। रजिस्टर्ड डाक के साथ मुझे कोई पर्ची नहीं मिली थी। घटना रविवार के दिन की है। मेरे पिता लोकतंत्र रक्षक सेनानी थे। राष्ट्रीय श्रमिक नेता थे। राज्य सरकार की कई समितियों में सदस्य रहे हैं। मेरे पिता के नाम से विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान पुरस्कार दिये जाते हैं। रविन्द्रनाथ के द्वारा उनके नाम का अपमान किया जा रहा है तथा मेरे परिवार का अपमान किया जा रहा है। केवल मुझे टारगेट किया जा रहा है। रविन्द्रनाथ मिश्रा आपराधिक व्यक्ति हैं। फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा है। हमारे परिवार की प्रतिष्टा का अपमान कर रहा है। मुझे गन्ने के लेन देन की कोई जानकारी नहीं है। घटना के समय वहाँ दस से बारह लोग थे।

4- परिवादी द्वारा अपने परिवार के समर्थन में धारा 202दं०प्र०सं० के अन्तर्गत ए०पी०डब्लू० 1 के रुप में खूबचन्द्र व सी०डब्लू० 2 के रूप में राकेश कुमार मिश्रा को परीक्षित कराया गया है।

5- साक्षी ए०पी०डब्लू०-1 खूबचन्द्र ने धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन किया है कि मैं विपक्षी रविन्द्रनाथ को जानता हूँ। विपक्षी की पत्नी तारावती ने प्रार्थी की सगी बुआ सुशीला देवी के ऊपर नाजायज असत्य आधारों पर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महोदय बिसवाँ में सुशीला देवी से नाजायज धन प्राप्त हेतु मुकदमा दायर किया था फिर ब्लैकमेल करके अपना वाद वापस ले लिया जिसका उनवान तारावती बनाम सुशीला देवी मु० नं० 345/2022 फैसला 22.05.2023, बेमानीपूर्ण नियत से फर्जी

डॉक्यूमेंट से अपने सगे भाई मुनेन्द्रनाथ की आवासीय भूमि हड़पने हेतु तैयार किया था। दोनों भाईयों में विवाद होने पर अन्तर्गत धारा 419,420,467,468 भा०दं०सं० विपक्षी तथा उनके पुत्रों पर सरकारी मुकदमा कायम हुआ जो विचाराधीन है। विपक्षी पर उसके पौत्र की पत्नी के सम्बन्ध में दहेज हत्या का मुकदमा भी विचाराधीन है जो उसकी ब्लैंकमेलिंग व प्रवृत्ति की प्रणति है। दीवानी वाद में सुशीला देवी की पैरोकारी प्रार्थी करता था। विद्वेश भावना व जबरदस्ती वसूली कर पाने हेतु विपक्षी ने इसी मध्य प्रार्थी को बेमानीपूर्ण आशय से जालसाजी भरे तथ्यों के आधार दिनाँक 25.04.2023 को वकील के माध्यम से आरोप लगाकार मानहानि आरोप लगाये जिसका जवाब प्रार्थी के अधिवक्ता ने 23.05.2023 को दिया। फिर विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा नोटिस एवं प्रतिनोटिस के माध्यम से प्रार्थी के मृतक पिता पर 3,660/- रु० मय ब्याज कर्ज होने का मिथ्या आरोप प्रार्थी पर लगाकार प्रार्थी को अपमानित करते हुए नाजायज धन वसूली की धमकी देने से प्रार्थी व उसके परिवार के लोग आहत हैं। प्रार्थी के पिता और परिवार के लोग विपक्षी के कथित रूप से कर्जदार हैं और अपमानित हो रहे हैं और अपमान को हत्या के समान महसूस कर रहे हैं। प्रार्थी को अपनी गरिमा बनाये रखने तथा बदनामी का बचाव करने का हक है। विपक्षी बराबर मिथ्या कर्जदार होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति 5 लाग रुपया विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है। नोटिस व प्रतिनोटिस प्रार्थी को जरिये डाक प्राप्त हुई। लोगों ने पढ़ा व सुना। मोहल्ले वाले व परिवार वालों की प्रतिष्टा में लगातार गिरावट आ रही है साथ ही साथ विपक्षी ने जब दिनाँक 09.07.2023 को करीब दिन में 11.00 बजे प्रार्थी के घर पर सारी असत्य बातें जो उसने नोटिस व प्रति नोटिस में लिखी थी मौखिक रूप से धमकी भरे शब्दों में चिल्लाना शुरू कर दिया जिससे तमाम लोग एकत्र हो गये, तब भी धन वसूली व अपमान जनक दुष्कृत्य करता रहा। प्रार्थी ने उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक सीतापुर को 14.07.2023 को भेजा था जिसका संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए परिवाद की आवश्यकता पड़ी।

6- साक्षी सी०डब्लू-2 राकेश कुमार मिश्रा ने धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन किया है कि मैं रविन्द्रनाथ को जानता हूँ। विपक्षी की पत्नी तारावती ने प्रार्थी की सगी बुआ सुशीला देवी के ऊपर नाजायज असत्य आधारों पर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महोदय बिसवाँ में सुशीला देवी से नाजायज धन प्राप्त हेतु मुकदमा दायर किया था फिर ब्लैकमेल करके अपना वाद वापस ले लिया जिसका उनवान मु० नं० 345/ 2022 तारावती बनाम सुशीला देवी जिसका फैसला 22.05.2023, बेईमानी नियत से फर्जी दस्तावेज अपने सगे भाई मुनेन्द्रनाथ की आवासीय भूमि हड़पने हेतु तैयार किया था। दोनों भाईयों में विवाद होने पर अन्तर्गत धारा 419,420,467,468 भा०दं०सं० विपक्षी तथा उनके पुत्रों पर सरकारी मुकदमा कायम हुआ जो विचाराधीन है। विपक्षी पर उसके पौत्र की पत्नी के सम्बन्ध में दहेज हत्या का मुकदमा भी विचाराधीन है जो उसकी ब्लैंकमेलिंग व प्रवृत्ति की प्रणति है। दीवानी वाद में सुशीला देवी की पैरोकारी प्रार्थी करता था। विद्वेश भावना व जबरदस्ती वसूली कर पाने हेतु इसी मध्य प्रार्थी को बेइमानीपूर्ण आशय से जालसाजी भरे तथ्यों के आधार दिनाँक 25.04.2023 को वकील के माध्यम से आरोप लगाकार मानहानि आरोप लगाये जिसका जवाब प्रार्थी के अधिवक्ता ने 23.05.2023 को दिया। फिर विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा नो० एवं प्रति नो० के माध्यम से प्रार्थी के मृतक पिता पर 3,660/- रु० मय ब्याज कर्ज होने का मिथ्या आरोप प्रार्थी पर लगाकार प्रार्थी को अपमानित करते हुए नाजायज धन वसूली की धमकी देने से प्रार्थी व उसके परिवार के लोग आहत हैं। प्रार्थी के पिता और परिवार के लोग विपक्षी के कथित रूप से कर्जदार हैं जिसे प्रार्थी व परिवार का अपमान हो रहा है। प्रार्थी अपनी गरिमा बनाये रखने तथा बदनामी बचाने का हक है। विपक्षी बराबर कर्जदार होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी

क्षतिपूर्ति पाँच लाख रुपया विपक्षी से प्राप्त करने का हकदारी है। प्रार्थी व राकेश के माकन के बीच केवल सड़क है। नो० व प्रति नो० प्रार्थी को जरिये डाक प्राप्त हुई। प्रार्थी व मोहल्ले वालों ने पढ़ा व सुना। मोहल्ले वाले व परिवार वालों की प्रतिष्टा में लगातार गिरावट आ रही है। जब दिनाँक 09.07.2023 को करीब 11.00 बजे घर पर सारी असत्य बातें नो० व प्रति नो० पर लिखी थी जो कि धमकी भरे शब्दों में चिल्लाना शुरू कर दिया जिससे गाँव के 10-12 लोग इकट्ठे हो गये तब भी धन वसूली व अपमान जनक दुष्कर्त करता रहा।

7- परिवादी और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर **रवीन्द्रनाथ मिश्र** के विरुद्ध **धारा- 500भा०दं०सं०** के अंतर्गत प्रथमदृष्टया अपराध बनता दर्शित होता है। अतः विपक्षी **रवीन्द्रनाथ मिश्र** को **धारा- 500भा०दं०सं०** के विचारण हेतु सम्मन के द्वारा आहूत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **रवीन्द्रनाथ मिश्र** को **धारा- 500भा०दं०सं०** के विचारण हेतु सम्मन के द्वारा आहूत किया जाता है। परिवादी गवाहों की सूची प्रस्तुत करे तथा सम्मन हेतु पैरवी सात दिन के अन्दर करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनाँक 22.05.2024 को पेश हो।

दिनाँक 25.04.2024

(सुभाष)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ-सीतापुर।

दुर्गा शंकर/ -

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.04.25 16:43:12 BOT
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan